(5) सागर की कहानी

सागर पुत्र कमल उम्र 14 वर्ष निवासी नाई की मण्डी, ठाकरन चैराहा, आगरा, उ0प्र0 [illegible] 02 वर्ष पहले पिताजी की डांट-फटका [illegible] नहीं आया। सागर के जाने के बाद परिजनों ने सागर को बहुत खोजा लेकिन कुछ नहीं चला। परिजनों ने रेलवे स्टेशन, [illegible], ढाबों व अन्य सभी संभावित स्थानों पर भी तला[illegible] नहीं चला।

[illegible] ट्रैन पकड़कर हरिद्वार चला आया था। य[illegible] ढ़ाबे में बर्तन मलने का काम किया इसके बदले ढ़ाबे वाला उसे दो समय का खाना दे दिया करता था। उसके बाद उसका सम्पर्क ज्वालापुर में एक बैंड वाले से हो गया। ज[illegible] वह बारात में लाईट उठाने का काम करने लगा। किसी की सूचना पर स्थानीय पुलिस ने सागर को राजकीय बाल-गृह [illegible], हरिद्वार में [illegible]

[illegible] 13.01.2015 को ऑपरेशन स्माइल अभियान के दौरान उप निरीक्षक विनोद चैरसिया व उनकी टीम ने जनपद हरिद्वार स्थित राजकीय बालगृह रोशनाबाद में जाकर लावारिश व गुमशुदा बच्चों के सम्बन्ध में जानकारी ले रहे थे तो काफी बच्चों के साथ बालक सागर से काफी मधुरता से बातचीत की गई तो सागर पुत्र कमल ने बताया कि वह आगरा में रहता है। उसके पिताजी राजीव सिनेमा, आगरा में कार्य करते हैं। उसके द्वारा दी गयी सूचना को विकसित करके काफी प्रयासों के बाद सागर के बड़े भाई निखिल से सम्पर्क किया गया। दिनांक 14.01.2015 [illegible] हरिद्वार आये जह[illegible] पुलिस द्वारा नियमानुसार सागर को उनके सुपुर्द किया गया।